



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)
पीठासीन अधिकारी :- शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:- 228/प्रा0पत्र/2023

दायरा दिनांक :-20.10.2023
GCMS ID-2023/137

उनवान

1. हर्षित आ0 नृसिंह योगी जाति नाथ निवासी गेस गोदाम के पास हिण्डोली तह0
हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार हिण्डोली।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

वकील प्रार्थी :- श्री भंवरलाल गुर्जर

वकील अप्रार्थीगण :- पेरोकार सरकार

आदेश

दिनांक : 30.04.2025

प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काशत की भूमि खसरा संख्या 6953/2615 रकबा 0.2226 हैक्टेयर वाके ग्राम हिण्डोली में गेस गोदाम के पास विस्थित है। प्रार्थी के खाते की भूमि की उत्तर दिशा में सिवायचक भूमि खसरा संख्या 6926/6820 विस्थित है, प्रार्थी के खाते की भूमि व सिवायचक भूमि की सीमा चिन्हित नहीं होने से कई बार राजस्व कर्मी सिवायचक भूमि में प्रार्थी का कब्जा होना बता देते हैं, इसलिए प्रार्थी अपने खाते की भूमि खसरा संख्या 6953/2615 की पत्थरगढी करवाना चाहता है, प्रार्थी पत्थरगढी का खर्चा वहन करने हेतु तैयार है। पत्थरगढी के आदेश जारी करने के श्रीमान अधिकार प्राप्त है प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 6953/2615 वाके ग्राम हिण्डोली की पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकीली अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी पेरोकार सरकार की ओर से प्रार्थी से नियमानुसार राशि जमा करवाने उपरान्त पत्थरगढी किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना आदेशिका पर अंकित किया।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में प्रावधान निहित है कि किन्ही सीमाओं से सम्बन्धित किसी विवाद के मामले में लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर, जहाँ तक संभव हो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर ऐसे विवाद निपटायेगा और यह संभव न हो अथना ऐसे नक्शे उपलब्ध न हो तो वास्तविक कब्जे के

शिवराज मीणा
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

आधार पर निपटायेंगे। भू-प्रबन्धन कार्य समाप्त होने पर ऐसे विवाद कलक्टर द्वारा निपटारे जाएंगे। राज्य सरकार ने अधि.सं. एफ. 4 (64) रे. बी. ग्रुप/62 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा ये शक्तियाँ एस0डी0ओ0 को प्रत्यायोजित कर दी है।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया विवादित भूमि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी व राजकीय सिवायचक भूमि की सीमा चिन्हित नहीं होने से कई बार राजस्व कर्मियों द्वारा प्रार्थी का सिवायचक भूमि पर कब्जा होना बताया जाता है। जिससे मौके पर अनावश्यक तनाव की स्थिति बनी रहती है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमियों की पत्थरगढी किए जाने के आदेश फरमाये जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2076-79 वाके ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली तहसील हिण्डोली की खतौनी संख्या 1070 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है अर्थात् प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। कोई भी रिकार्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी होता है। पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में किसी पक्षकार के हितों का निर्धारण नहीं किया जाना है। पत्थरगढी द्वारा केवल विवादित भूमि की सीमाओं को तय किया जाता है।

—: क्रियात्मक आदेश :-

अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, हिण्डोली को निर्देश है कि आराजी खाता संख्या 1070 के खसरा संख्या 6953/2615 रकबा 0.2226 हैक्टेयर वाके ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली तहसील हिण्डोली जो कि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजीयात की प्रार्थी से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थी व आराजी के पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में विवादित भूमि बाबत किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने की स्थिति में व उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुए पत्थरगढी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, हिण्डोली को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Sw 30/04/2025
(शिवराज मीणा)

आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली